रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 435] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 6, 2015/ आषाढ़ 15, 1937
No. 435] NEW DELHI, MONDAY, JULY 6, 2015/ ASADHA 15, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2015

सं. 18/2015-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन० टी०)

सा.का.नि. 542(अ).—वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्मित सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 4सी के उप-नियम (2) और नियम 5 के उप नियम (5) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 के अंतर्गत निर्मित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 10 के उपनियम (5) और नियम 11 के उप-नियम (9) के अनुसरण में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड मांग पत्रों को जारी किए जाने, इलैक्ट्रानिक स्वरूप में रिकॉर्ड्स का परीक्षण और डिजिटल हस्ताक्षरों द्वारा रिकॉर्डस और मांगपत्रों का अधिप्रमाणन हेतु निम्नलिखित शर्तों, संरक्षोपाय और प्रक्रियाओं का एतद्द्वारा विशेष रूप से उल्लेख करता है, अर्थात्:—

1. डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग का प्रस्ताव करने वाला प्रत्येक निर्धारिती भारत में प्रमाणन **अधिकारी** द्वारा विधिवत् जारी किए गए क्लास 2 अथवा क्लास 3 डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का प्रयोग करेगा।

2. (i) डिजिटल हस्ताक्षरों का प्रयोग करने का प्रस्ताव करने वाला प्रत्येक निर्धारिती कम से कम पन्द्रह दिन पहले क्षेत्राधिकार उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क को निम्नलिखित ब्यौरे सूचित करेगा:-

(क) डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र प्रयोग हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, ई-मेल आई डी, कार्यालय-पता और पदनाम;

(ख) प्रमाणन प्राधिकारी का नाम;

(ग) उक्त प्राधिकारी के पूरे पते के साथ प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की एक प्रतिलिपि के साथ डिजिटल प्रमाण पत्र के जारी किए जाने की तिथि और डिजिटल हस्ताक्षर की वैधता;

बशर्ते कि क्षेत्राधिकारी उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त को प्रस्तुत ब्यौरों में किसी बदलाव के मामले में, ऐसे बदलाव के पन्द्रह दिन के भीतर सम्पूर्ण ब्यौरों को दोबारा प्रस्तुत करना होगा।

(ii) पहले से डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग करने वाला प्रत्येक निर्धारिती इस अधिसूचना के जारी किए जाने के पन्द्रह दिन के भीतर उपर्युक्त ब्यौरे क्षेत्राधिकार उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क को सूचित करेगा।

3. प्रत्येक निर्धारिती जो इलेक्ट्रानिक स्वरूप में रिकार्ड्स को बनाए रखे जाने का विकल्प चुनता है और जिसके पास एक से अधिक फैक्टरी अथवा सेवा कर पंजीकरण है प्रत्येक फैक्टरी अथवा प्रत्येक सेवा कर पंजीकरण के लिए पृथक इलेक्ट्रानिक रिकार्ड्स बनाए रखेगा।

4. इलेक्ट्रानिक स्वरूप में रिकार्ड्स बनाए रखे जाने का विकल्प चुनने वाला प्रत्येक निर्धारिती किसी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के अनुरोध पर दस्तावेज की प्रमाणिकता के सत्यापन हेतु एक इलैक्ट्रानिक रूप में पठनीय प्रारूप में ई-मेल के माध्यम से अथवा एक विनिर्दिष्ट स्टोरेज डिवाइस पर इलैक्ट्रानिक स्वरूप और मांगपत्रों में विशिष्ट रिकार्ड्स प्रस्तुत करेगा और ऐसे रिकार्ड्स और मांग पत्र हेतु अनुरोध केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा पत्र अथवा ई-मेल में विनिर्दिष्ट होगा।

5. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 14 के प्रावधानों के अनुसरण में और वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 83 में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार सेवा कर हेतु लागू किए गए रूप में किसी जांच पड़ताल, अन्वेषण अथवा लेखा परीक्षा के दौरान कोई केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी इलैक्ट्रानिक स्वरूप में रिकार्ड्स और मांगपत्रों के प्रिन्ट-आऊट्स को प्रस्तुत किए जाने हेतु किसी निर्धारिती को निदेश दे सकता है और इलैक्ट्रानिक प्रारूप में इसकी शुचिता के सत्यापन के पश्चात् ऐसे रिकॉर्ड्स और मांगपत्रों के प्रिंट-आऊट्स का पुनर्ग्रहण कर सकता है तथा इस संबंध में निर्धारिती द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति अथवा निर्धारिती द्वारा इलैक्ट्रानिक स्वरूप में ऐसे रिकार्ड्स के प्रिन्ट-आऊट्स के पश्चात् साइन किए गए हैं यदि ऐसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा ऐसा अनुरोध किया गया हो।

6. इलैक्ट्रानिक स्वरूप में रिकार्ड्स को बनाए रखे जाने का विकल्प चुनने वाला प्रत्येक निर्धारिती सुनिश्चित करेगा कि ऐसे ऐसे रिकार्ड्स से संबंधित वित्तीय वर्ष के तत्काल पश्चात् 5 वर्ष की अवधि के लिए इलैक्ट्रानिक स्वरूप में रिकार्ड्स के यथोचित बैक-अप को बनाए रखा और परिरक्षित किया जाता है।

7. यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 224/44/2014-सीएक्स.6]

रोहन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2015

No. 18/2015-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 542(E).—In pursuance of sub-rule (5) of rule 10 and sub-rule (9) of rule 11 of the Central Excise Rules, 2002 made under section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and sub-rule (5) of rule 5 and sub-rule (2) of rule 4C of the Service Tax Rules, 1994 made under sub-section (1) read with sub-section (2) of Section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Board of Excise and Customs hereby specifies the following conditions, safeguards and procedures for issue of invoices, preserving records in electronic form and authentication of records and invoices by digital signatures, namely:-

1. Every assessee proposing to use digital signature shall use Class 2 or Class 3 Digital Signature Certificate duly issued by the Certifying Authority in India.

2. (i) Every assessee proposing to use digital signatures shall intimate the following details to the jurisdictional Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Central Excise, at least fifteen days in advance:-

 (a) name, e-mail id, office address and designation of the person authorised to use the digital signature certificate;

 (b) name of the Certifying Authority;

 (c) date of issue of digital certificate and validity of the digital signature with a copy of the certificate issued by the Certifying Authority along with the complete address of the said Authority:

 Provided that in case of any change in the details submitted to the jurisdictional Deputy Commissioner or Assistant Commissioner, complete details shall be submitted afresh within fifteen days of such change.

 (ii) Every assessee already using digital signature shall intimate to the jurisdictional Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Central Excise the above details within fifteen days of issue of this notification.

3. Every assessee who opts to maintain records in electronic form and who has more than one factory or service tax registration shall maintain separate electronic records for each factory or each service tax registration.

4. Every assessee who opts to maintain records in electronic form, shall on request by a Central Excise Officer, produce the specified records in electronic form and invoices through e-mail or on a specified storage device in an electronically readable format for verification of the authenticity of the document and the request for such records and invoices shall be specified in the letter or e-mail by the Central Excise Officer.

5. A Central Excise Officer, during an enquiry, investigation or audit, in accordance with the provisions of section 14 of the Central Excise Act, 1944 and as made applicable to Service

Tax as per the provisions contained in section 83 of the Finance Act, 1994, may direct an assessee to furnish printouts of the records in electronic form and invoices and may resume printouts of such records and invoices after verifying the correctness of the same in electronic format; and after the print outs of such records in electronic form have been signed by the assessee or any other person authorised by the assessee in this regard, if so requested by such Central Excise Officer.

6. Every assessee who opts to maintain records in electronic form shall ensure that appropriate backup of records in electronic form is maintained and preserved for a period of 5 years immediately after the financial year to which such records pertain.

7. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 224/44/2014-CX.6]

ROHAN, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.